

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2016/ 948

जबलपुर, दिनांक : 26/04/2016

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 90वीं बैठक दिनांक 26/06/2015 में पद क्रमांक 33 के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 31 (च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) को मान्य करते हुये अन्य समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्य करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30/06/2015 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20/08/2015 के पद क्रमांक 04 में स्वीकृति उपरांत निम्नानुसार अध्यादेश (संलग्न) को अंगीकृत किया जाता है :-

क्र०	अध्यादेश क्रमांक	अध्यादेश का नाम
1.	222	च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) As Per Guidelines of UGC for Choice Based Credit System.

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06/04/2016 के पद क्रमांक 20 के निर्णयानुसार उक्त अध्यादेश विश्वविद्यालय के विभागों में, स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू होगा।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26/04/2016

पृ० क्रमांक/अका./2016/ 948 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. विभागाध्यक्ष, की ओर इस निवेदन के साथ कि वे दिनांक 15/05/2016 तक की समयावधि में पाठ्यक्रम तैयार करावें।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/अधिकारीगण, रा०दु०वि०वि०, जबलपुरकी ओर सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर की ओर पालनार्थ।
5. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. विशेष कर्ताव्य अधिकारी, समन्वय समिति, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कुलपति जी के सचिव एवं कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर, विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. विश्वविद्यालय सूचना पटल।

उप कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर